



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092026-276462
CG-DL-E-24092026-276462

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5013]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2026/भाद्र 31, 1948

No. 5013]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2026/BHADRA 31, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2026

का.आ. 5220(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 227ए के किमी 0.000 से किमी 76.690 तक और किमी 97.825 से किमी 145.862 रामजानकी मार्ग खंड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 4 लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अनुसूची के क्रमशः कॉलम (4), (5), (6), और (7), में उल्लिखित जिलों, तहसीलों/तालुका, पुलिस स्टेशन और गांवों से संबंधित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्ट में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत उल्लिखित सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत करती हैं।

अनुसूची

बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 227ए रामजानकी मार्ग के किमी 0.000 से किमी 76.690 तक और किमी 97.825 से किमी 145.862 पर भूमि अर्जन

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	जिला भू - अर्जन पदाधिकारी , सारण	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH227A के कि.मी 0 से कि.मी 11.145 तक	बिहार	सारण	मशरख	1 चैनपुर
					पानापुर	1 सेमरी
2	जिला भू - अर्जन पदाधिकारी , गोपालगंज	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH227A के कि.मी 11.145 से कि.मी 19.4 तक	बिहार	गोपालगंज	वैकुंठपुर	1 पहाड़पुर कर्म शिला
3	जिला भू - अर्जन पदाधिकारी , पूर्वी चंपारण	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH227A के कि.मी 19.4 से कि.मी 76.69 तक	बिहार	पूरबी चम्पारण	फेनहारा	1 मधुबनी(223)
					मधुबन	1 मधुबन टोला सरैया

[फा. सं. RW/PAT/NH227A & 227/ Masrakh - Bhithamore /Ramjankimarg/LA/2026]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2026

S.O. 5220(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorises the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed hereto as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to districts, taluk, police station and villages mentioned in column (4), (5) (6) and (7) respectively of the said Schedule for building (Widening/ four laning with paved shoulder etc) maintenances managment & operation of the National Highway NH-227A Ramjanki Marg from Km 00+000 to Km 76.690 and km 97.825 to 145.862 in the state of Bihar.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH-227A Ramjanki Marg from Km 00+000 to Km 76.690 and km 97.825 to 145.862 in the State of Bihar

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	DLAO, Saran	NH227A KM 0 TO KM 11.145	BIHAR	SARAN	Mashrakh	1 Chainpur
					Panapur	1 Semri
2	DLAO, Gopalganj	NH227A KM 11.145 TO KM 19.4	BIHAR	GOPALGANJ	Baikunthpur	1 Paharpur Karam Shila
3	DLAO, East Champaran	NH227A KM 19.4 TO KM 76.69	BIHAR	East Champaran	Phenhara	1 Madhubani(223)
					Madhuban	1 Maduban Tola Saraia

[F. No. RW/PAT/NH227A & 227/ Masrakh - Bhithamore /Ramjankimarg/LA/2026]

SHAIKH AMINKHAN, Director